न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी – सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या – 89/2023

सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या – 89/2023

सी०एन०आर० नंबर – RJJH140002442023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 29/2023, मुकुंदगढ़

अपराध अंतर्गत धारा – 323, 341, 504/34 भा०द०स०

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमती उषा कुल्हरी
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. बोयत राम पुत्र श्री राजूराम, उम्र 63 वर्ष, 02. अनिल कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र श्री मनफूल सिंह, उम्र 28 वर्ष, 03. शंकर कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद, समस्त निवासीगण ढिगाल, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री सज्जन कुमार चाहर
अधिवक्ता परिवादी	----------

B

अपराध की दिनांक	12–02–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	12–02–2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	27–04–2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	27–04–2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	20–06–2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	---------
निर्णय दिनांक	12–03–2026
दण्डादेश की दिनांक	---------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	बोयतराम	------	------	341, 323, 504/34 भा०द०स०	दोषसिद्ध	------	----------
02	अनिल कुमार उर्फ टिल्लू	------	------	341, 323, 504, /34 भा०द०स०	दोषसिद्ध	------	----------
03	शंकर कुमार	------	------	341, 323, 504, /34 भा०द०स०	दोषसिद्ध	------	----------

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	नरेंद्र	बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी.डब्ल्यू 2	उषा कुल्हरि	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 3	रमेश कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 4	डॉ. वरूण शर्मा	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू 5	मनोज कुमार	बयान धारा 161 सीआरपीसी व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 6	सुरेश कुमार	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ

		गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट व बयान धारा 161 सीआरपीसी श्री नरेंद्र धाभाई
02	प्रदर्श पी.02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
04	प्रदर्श पी.04	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मनोज कुमार

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 12–02–2023 को परिवादिया उषा कुल्हरी ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके पति मनोज कुमार सुबह करीब नौ बजे ट्रेक्टर लेकर खेत में पत्थर डालने गया था। उनके खेत के पास निम्नलिखित व्यक्ति पहले से वहां बैठकर शराब पी रहे थे। बोयतराम, अनिल कुमार, मनफुल सिंह, शंकर सिंह, सुभाष रेपस्वाल ने उसके पति को खेत में पहले जहां पत्थर

डालने थे, वहां उपरोक्त तीनों व्यक्ति पहले से बैठकर शराब पी रहे थे। उन लोगों ने उसके पति को बोला मादरचोद तुझे अभी आना था। जब उसके पति ने बोला कि आप रास्ते से अलग हट जाये ताकि वह अपना ट्रेक्टर खाली कर सके। इस दौरान वे तीन लोग नशे में थे तथा उसके पति के साथ गाली–गलौच व मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्होंने उसके पति को पीटा तो उनके सिर, गर्दन व रीढ़ की हडडी में चोट लगी। वो लोग पहले आपस में भी झगड़ रहे थे। इससे उसके पति का ट्रेक्टर वहां पर फंस गया क्योंकि उन्होंने रास्ता नहीं दिया। इतने में बोयत राम की पत्नी संतोज्ञ देवी भी वहां पर पहुंच गयी। उसने उसके पति को धका मारा और ट्रेक्टर की चाबी निकाल ली। उसने अपने पति को तीन बार फोन किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मजदूर घर में टाइल लगा रहा था। उससे फोन करवाया तो उन्होंने रिसीव किया पर हांफते हुए कुछ बोल नहीं पाए तो उसने बोला शायद कुछ झगड़ा हुआ है। आप बीच–बचाव करने जाओ नहीं तो वो उन्हें मार डालेंगे। कुछ देर बाद वह वहां पर गयी क्योंकि मजदूर ने बोला कि ट्रेक्टर की दूसरी चाबी लेकर आप जल्दी आओ। इतने में पुलिस भी वहां पर आ गयी। मारपीट के दौरान उन्होंने उसके पति की हाथ घड़ी व गले से सोने की चैन छीन ली। इससे उसक पति को अंदरूनी चोटें आई है। इससे पहले नौ फरवरी को भी बोयतराम उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। बोयतराम व उसके पुत्र करीब दो साल से उन्हें परेशान कर हरे हैं। उसके पति भारतीय सेना में 30 वर्ष सर्विस करने के बाद 2020 में सेवानिवृत हुए हैं। तभी से वे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके खिलाफ पहले से तीन एफआईआर दर्ज है। जिनमें वे अपनी गलती मानकर जुर्माना भर देते हैं। इसके अलावा बोयतराम व उनके पुत्र कई बार देख लेने की धमकी देते हैं। जिसके बाबत भी उन्होंने थाने में प्रार्थना–पत्र दिया था। श्रीमान आपसे सादर निवेदन है कि इस बाबत वे उनके विरूद्ध जांच करवाये तथा उन पर कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि.....।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा–323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02

पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04– अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उनके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

06– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाय गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित परिवादी सहित अन्य गवाहान लेसमात्र भी अभियेाजन कहानी का समर्थन नहीं करते है। प्रकरण बढा–चढाकर दर्ज करवाया गया है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

1– आया अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 12–02–2023 को समय 09.00 बजे प्रातः या उसके लगभग वाके मौजा ढिगाल में खेत के रास्ते में आहत मनोज को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या जान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, उसको उस दिशा में, जिसमें जाने का उसको अधिकार था, स्वेच्छया बाधा डाला जाना निवारित कर सदोष अवरोध किया तथा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौच कर उसका अपमान किया?

2– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– प्रकरण में आई साक्ष्य का **विश्लेषण** करने से पहले उसका **क्रमबंधन** करना आवश्यक है। अतः साक्ष्य का विश्लेषण करने से पहले उसे संक्षिप्त में यहां उल्लेखित किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैः–

09– सर्वप्रथम गवाह **पी.डबल्यू 01 नरेंद्र** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन कर स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा मनोज कुमार के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखी अर्थात वह पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

10– इसके पश्चात **गवाह पी डब्ल्यू 02 उषा कुल्हरी** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 12–02–2023 को सुबह करीब नौ बजे उसके पति मनोज कुमार अपने खेत में पत्थर की ट्रोली डालने के लिए लेकर गये थे। तब वहां पर उनके खेत के रासते में बोयतराम, अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, शंकर सिंह रेपस्वाल तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। उन लोगों ने उसके पति को देखते हुए गाली–गलौच की और ट्रेक्टर आगे नहीं ले जाने दिया। तब उसके पति ने कहा कि रास्ते से हट जाओ। ताकि वह अपना ट्रैक्टर खाली कर सके। तब उन तीनों व्यक्तियों ने जो शराब के नशे में थे। उसके पति के साथ गाली गलौच की व मारपीट करने लगे। जिससे उसके पति के सिर गर्दन, रीढ़ की हडडी में चोटें आयी। उसके पति का ट्रेक्टर आगे जाकर फंस गया, क्योंकि उन्होंने रास्ता नहीं दिया। उसके बाद बोयतराम की पत्नी संतोष देवी वहां पर आयी और उन्होंने मनोज कुमार को धक्का देकर चाबी निकाल ली। उसने अपने पति को दो–तीन बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तब उसके घर पर मजदूर टाईल लगा रहा था उसके फोन से फोन किया तो फोन उठाया और बोला की यहां पर उसकी जान के लाले पड़ रहे हैं। तब उसके मजदूर को बीच–बचाव करने के लिए वहां पर भेजा और वह भी ट्रेक्टर की दूसरी चाबी लेकर वहां पहुंच गयी। जब वह मौके पर पहुंची तब उसने देखा कि उक्त तीनों अभियुक्तगण उसके पति के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट के दौरान उन्होंने उसके पति के हाथ की घड़ी व गले की सोने की चैन भी निकाल ली। इससे पहले 09 फरवरी को उसके पति को बोयतराम ने जान से मारने की धमकी दी थी। बोयतराम व उसके लड़के उन्हें दो साल से परेशान कर रहे थे। उनके खिलाफ भी तीन मुकदमे दर्ज कराये थे। जिसमें उन्होंने जुर्म स्वीकार कर जुर्माना भर दिया था। बोयतराम व उसके लड़के सुरेश ने दिनांक 30 नवंबर, 2020 को उनके नये ट्रेक्टर को आग लगा दी थी। जो उन्होंने अगस्त में खरीदा था। उसकी एफआईआर भी उन्होंने 01 जनवरी को दर्ज करवायी थी। उसने उसके पति के साथ जो दिनांक 12–02–2023 को घटना हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में दर्ज करवायी थी, जो प्रदर्श पी 01 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईअसार प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन

करती है कि जब वह मौके पर पहुंची तब झगड़ा हो रहा था। जब लड़ाई की शुरूआत हुई तब वह मौके पर नहीं थी। घटनास्थल उसके घर से 02 किलोमीटर की दूरी पर था। शुरू में जो भी बात हुई थी, वह उसे उसके पति ने बतायी थी। विवाद घर के सामने जो चौक है उसे लेकर है। उसकी वजह से बार–बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसके पति के रीढ़ की हडडी, गर्दन व सिर में चोट थी। सिर में अनिल कुमार ने मारी थी। शंकर सिंह ने गर्दन पकड़ रखी थी। रीढ़ की हडडी पर बोयतराम ने मारी थी। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने दूसरे दिन आये होंगे। फिर कहा कि कनर्फम दूसरे दिन शाम को बनाया था। जब पुलिस ने नक्शामौका बनाया तब मौके पर हरि किशन डूडी थे। इसके अलावा और कोई नहीं था। रास्ता के बीच में पत्थर पड़े हुए हैं तथा रास्ते में लड़ाई हुई थी। आज तक पत्थर खेत में नहीं पहुंचे है।

11– इसके पश्चात गवाह **गवाह पी डब्ल्यू 03 रमेश कुमार** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसके सामने पुलिस ने दिनांक 13–02–2023 को घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया अर्थात वह हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

12– इसके पश्चात गवाह **पी.डबल्यू–04 डॉ. वरूण वर्मा** ने मुख्य परीक्षा में कथन कर स्वीकार किया है कि उस रोज उसने आहत मनोज कुमार निवासी ढिगाल के शरीर पर आयी चोटों का चोट प्रतिवेदन तैार किया था। आहत मनोज के शरीर पर निम्न चोटें थींः– 01. खरोंचनुमा चोट लाल और भूरे रंग की 01 गुणा 01 सेंटीमीटर माथे के दांहिनी तरफ चोट, 02. खरोंचनुमा चोट लाल और भूरे रंग की 01 गुणा 01 सेंटीमीटर दांहिने हाथ के पिछले हिस्से पर, 03. खरोंचनुमा चोट लाल और भूरे रंग की 01 गुणा 0.2 सेंटीमीटर बांय हाथ पर। सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि दो से चार दिन के भीतर की थी। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है। जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिहन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि यह सही है कि आहत मनोज का चोट प्रतिवेदन बनाते समय उसने आहत का पहचान दस्तावेज नहीं देखा। तीनों चोटें साधारण प्रकृति की हैं। चोटें दो से चार दिन पूर्व की हैं। ये चोट सामान्यतः गिरने पड़ने से आ सकती है। उन चोटों के बाबत कोई एक्सरे वगैराह नहीं किया गया है।

13– इसके पश्चात गवाह **पी.डबल्यू–05 मनोज कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन कर स्वीकार किया है कि दिनांक 12–02–2023 को करीब सुबह 09 बजे वह अपने खेत में अपना ट्रेक्टर लेकर पत्थर डालने के लिए खेत में गया था। तब उसके खेत के पास बोयतराम, अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, शंकर सिंह तीनों पहले से ही वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे। उसे देखकर उन

लोगों ने उसे गंदी गाली दी और कहा कि उसे अभी आना था क्या। उसके बाद उन तीनों लोगों से कहा कि वे उसके रास्ते से हट जाओ, ताकि वह अपना खेत में अपना ट्रेक्टर ले जाए और पत्थर डाल सके। उन लोगों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। वह रास्ते के साइड में से जाने लगा तो उसका ट्रेक्टर फंस गया। उन तीनों लोगों ने उसके साथ फिर से गाली–गलौच की और उसके साथ मारपीट की। मारपीट से उसके सिर पर चोट लगी, दोनों हाथों में, गर्दन में, रीढ़ की हडडी में चोट लगी। थोड़ी देर बाद बोयतराम की पत्नी संतोष देवी भी वहां पर आ गयी। संतोष देवी ने उसके ट्रेक्टर की चाबी निकाल ली और उसे धक्का दे दिया। उसके साथ जब मारपीट हो रही थी तब उसकी पत्नी का भी उसके पास फोन आया, लेकिन वह रिसीव नहीं कर सका। उसके बाद उसके घर पर काम करने वाले मजदूर ने उसे फोन किया तो उसने हांफते हुए जवाब दिया कि उसका ट्रेक्टर फंस गया और उसकी चाबी छीन ली है और दूसरी चाबी भेजो। मजदूर और उसकी पत्नी वहां पर चाबी लेकर आ गये। मारपीट के दौराने उसकी घड़ी और सोने की चेन भी छिन ली। उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करने के अलावा गंदी–गंदी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। उसने तीस साल आर्मी में सेवा की है। जब से वह रिटायार होकर आया है, तब से बोयतराम वगैराह उसे परेशान कर रहे हैं। बोयतराम ने दिनांक 09–02–2023 को जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 30–11–2020 को भी बोयतराम और उसके लड़के ने उसके ट्रेक्टर में आग लगा दी थी। उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध तीन एफआईआर दर्ज करायी थी। जिसमें वे जुर्माना भर चुके हैं। इस घटना की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज करायी थी। उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज करायी थी। उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी। उसने अपनी पत्नी को रिपोर्ट लिखकर नहीं दी थी। वह उस वक्त पुलिस कस्टडी में था। उसे पता है कि उसकी पत्नी ने रिपोर्ट में क्या लिखा है। उसने अपनी पत्नी को बताया और उसने वहीं रिपोर्ट लिखी थी। बोयतराम उसके चाचा ही लगते हैं। उनका घर भी उसके घर के पास में ही है और खेत की सींव भी एक ही है। घटना सुबह 09.00–09.30 बजे की है। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट टाइप करवाकर दी हो। रिपोर्ट हाथ से लिखकर दी थी। नक्शा मौका उसके सामने ही बनाया था। नक्शा मौका बनाया था, तब मौके पर वह, उसकी पत्नी और रमेश कुमार था। नक्शा मौका देखकर बताया कि एच, जी और एफ स्थान पर बोयतराम का खेत है। ए बिंदू से बी बिंदू पर रास्ता दिखा रखा है। यह कहना गलत है कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में ना हो। उसने इस

रास्ते बाबत पटवारी के बाबत कोई रिपोर्ट नहीं करवायी। यह कहना गलत है कि उसका और बोयतराम के रास्ते और सींव का विवाद हो। बोयतराम से दक्षिण दिशा में उसका खेत मिटटी में धंस गया। नक्शा मौका देखकर कहा कि एक्स स्थान पर मारपीट होना बताया है, जो सही अंकित है। मौके पर बोयतराम, अनिल उर्फ टिल्लू, शंकर सिंह तीनों बैठकर पहले ही शराब पी रहे थे। इनके बाद काफी समय बाद बोयतराम की पत्नी संतोष देवी आयी थी। भंवर सिंह पुत्र मोहनलाल रेपस्वाल भी बाद में आया था। जिसने भी उसके साथ धक्का मुक्की की थी। इनके अलावा मौके पर उसके घर पर काम करने वाले केदारमल सोनी, यूपी का मजदूर और उसकी पत्नी, उसका लड़का तथा 20–25 आमदी वहां पर इकटठा हो गये थे। उसका बीच–बचाव करने कोई नहीं आया था। उसने अभियुक्तगण के साथ कोई मारपीट नहीं की। उसे बोयतराम, अनिल उर्फ टिल्लू, शंकर सिंह उन्होंने उसे मारा था। बोयतराम की पत्नी ने उसे धक्का दिया था। उसके साथ मारपीट नहीं की थी। बोयतराम ने उसे हाथ मुक्कों से ही मारा था। तीनों लोगों ने उसके घपी घाली और तीनों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके सबूत वीडियो और फोटो भी उसने पुलिस को दिए थे। ट्रेक्टर वहीं फंसा रहा था। उसी दिन शाम को उसका लड़का और मजदूर ट्रेक्टर लेकर आये। रिपोर्ट दिनांक 12–02–2023 को दर्ज करायी थी और समय उसे आज पता नहीं है। उसका मेडिकल हुआ था और किस–किस का मेडिकल हुआ, उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि इस मुकदमे के संबंध में उसके उपर भी बोयतराम के लड़क अनिल ने क्रॉस केस कर रखा है। वह रमेश का जानता है। जब नक्शा मौका बनाया था तब रमेश वहां पर आया था। वह नरेंद्र को जानता है। बोयतराम ने हर केस में अपने लिए गवाह बना रखा है। यह कहना सही है कि नरेंद्र की गवाह उसने नहीं दी। उसकी पत्नी उषा के साथ मारपीट नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई मारपीट नहीं की हो।

14– इसके पश्चात गवाह **गवाह पी डब्ल्यू 06 सुरेश कुमार** ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 12–02–2023 को पुलिस थाना मुकुंदगढ़ में एचसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थिया उषा कुल्हरी ने एक लिखित रिपोर्ट मारपीट बाबत उपस्थित थाना होकर आईसी थाना श्री कानाराम उचसी पीएस मुकुंदगढ़ के समक्ष पेश की। जिस पर मुकदमा नंबर 29/2023 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 379, 504/34 आईपीसी में दर्ज कर आईसी थाना से अनसुंधान हेतु उसे मिली। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी परिवादिया के हस्ताक्षर है तथा सी से डी आईसी थाना कानाराम एचसी के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी

परिवादिया के हस्ताक्षर है तथा सी से डी आईसी थाना कानाराम एचसी के हस्ताक्षर है। जिनके साथ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल पर जाकर मौत बीरान के समक्ष नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी, सी से डी, ई से एफ गवाहों के हस्ताक्षर है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। आई से जे हालात मौका अंकित है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान श्रीमति उषा कुल्हरी, मनोज कुमार, नरेंद्र धाभाई के कहे अनुसार बयान लेखबद्ध किये। आहतगण मनोज कुमार का चोट प्रतिवेदन तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 04 है, जिस पर शामिल पत्रावली के नोट के साथ ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके संपूर्ण अनुसंधान से उसने आरोपीगण बोयतराम, अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, शंकर कुमार के विरूद्ध धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 आईपीसी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने आरोपीगण के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि उसे पुलिस में करीब 28 वर्ष हो गये। प्रदर्श पी 01 रिपोर्ट दर्ज होने के लिए पहले आईसी थाना कानाराम के पास आई। तत्पश्चात एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान हेतु उसके पास आई थी। नक्शा मौका दिनांक 13–02–2023 को बनाया था। रिपोर्ट दर्ज होने के दो दिन बाद मजरूब मनोज कुमार के उपस्थित होने पर दिनांक 15–02–2023 को मेडिकल करवाया था। यह कहना गलत है कि मनोज स्वयं अपने आप के चोट मारकर उसके पास आया हो। बल्कि उसके चोट लगी हुई थी। मनोज रिपोर्ट देने के बाद उनकी कस्टडी में नहीं रहा। वह यह नहीं बता सकता कि मनोज दो दिन कहां पर रहा। बोयतराम, अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, शंकर कुमार का उसे इस प्रकरण में मेडिकल नहीं करवाया। पत्रावली पर जो लिखा हुआ है, वह सही सत्य है।

15– इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाह परीक्षित हुए हैं। हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 02 उषा कुल्हरी परिवादिया है, जिसने दौराने मुख्य परीक्षा यह कथन किया है कि उसका पति खेत में पत्थर की ट्रोली डालने के लिए जा रहा था। रास्ते में बोयतराम, अनिल उर्फ टिल्लू, शंकर तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। उन लोगों ने उसके पति को गाली निकाली और ट्रेक्टर को आगे नहीं जाने दिया। वे तीनों ही शराब के नशे में थे। उन्होंने उसके पति के साथ गाली–गलौच व मारपीट की। जिससे उसके पति के शरीर पर काफी चोटें आयी। परंतु दौराने जिरह परिवादिया कथन करती है कि जब वह मौके पर वहां

पहुंची तब झगड़ा हो रहा था। जब लड़ाई की शुरूआत हुई तब वह मौके पर नहीं थी। उसके पति के रीढ की हडडी, गर्दन पर सिर पर चोटें आयी थी। आगे परिवादिया कथन करती है कि लड़ाई खेत के रास्ते में हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पीडब्ल्यू 05 स्वयं आहत मनोज कुमार है। जिसने दौराने मुख्य परीक्षा कथन किया है कि वह खेत में पत्थर डालने के लिए गया था। तब वहां पर बोयतराम, अनिल कुमार उर्फ टिल्लू, शंकर सिंह तीनों पहले से मौजूद थे तथा तीनों वहां बैठकर शराब पी रहे थे। उसने कहा कि रास्ते से हट जाओ, परंतु उन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया। वह रास्ते के साइड से जाने लगा तो उसका ट्रेक्टर फंस गया। फिर उन तीनों ने उसके साथ गाली–गलौच व मारपीट की। मारपीट के दौरान उन्होंने उसकी हाथ घड़ी और गले में सोने की चेन भी छीन ली। इसके अतिरिक्त आहत दौराने जिरह कथन करता है कि घटना सुबह 09–09.30 की है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसने जो अपनी पत्नी को बताया वही उसकी पत्नी ने रिपोर्ट में लिखवाया था। मौके पर बोयतराम, अनिल उर्फ टिल्लू व शंकर तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। काफी समय बाद बोयतराम की पत्नी वहां पर आ गयी थी। बोयतराम की पत्नी ने उसे धक्का दिया था, परंतु उसके साथ मारपीट उन तीनों द्वारा ही की गयी थी। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 02 व पीडब्ल्यू 05 ही घटना के चश्मदीद साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 01 व पीडब्ल्यू 03 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा मारपीट नहीं देखने का कथन करते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 06 अनुसंधान अधिकारी है, जिसके अनुसंधान में भी आहत मनोज कुमार के साथ मारपीट होना जाहिर है। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के विरूद्ध इसी तारीख, इसी समय पर घटित घटना के संबंध में एक रिपोर्ट पुलिस थाना में दी गयी थी। जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाकर परिवादी को अभियुक्त ठहराया गया था। उपरोक्त दोनों एफआईआर व पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष दिनांक 12–02–2023 को घटनास्थल पर उपस्थित थे तथा दोनों पक्षों के मध्य आपस में किसी बात को लेकर मारपीट व गाली–गलौच हुई है तथा परिवादी के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन भी पत्रावली पर प्रस्तुत है। जिससे परिवादी के शरीर पर चोटें कारित होना प्रकट हुआ है। मात्र गवाह पीडब्ल्यू 01 व पीडब्ल्यू 03 के पक्षद्रोही होने से हस्तगत प्रकरण में यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ किसी प्रकार की मारपीट व गाली–गलौच कारित नहीं हुई हो। हस्तगत प्रकरण में परिवादी तथा उसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 02 व 05 के रूप में दोनों परीक्षित हुए हैं। उपरोक्त की साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों

गवाहान की साक्ष्य का खंडन अभियुक्त पक्ष करने में असमर्थ रहा है। गवाह पीडब्ल्यू 02 व पीडब्ल्यू 05 की साक्ष्य दौराने जिरह भी अखंडनीय रही है। अतः उपरोक्त आधारों पर गवाह पीडब्ल्यू 02 व पीडब्ल्यू 05 की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अभिलेख पर आए साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत मनोज कुमार के साथ मारपीट व गाली–गलौच की गयी थी। पीडब्ल्यू 02 व पीडब्ल्यू 05 हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद व अहम गवाहान हैं, जो एक–दूसरे के कथनों की ताईद करते हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने सफल रहा है। इस प्रकार स्वयं परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट व स्वयं गवाह की साक्ष्य से यह साबित होता है कि बरवक्त घटना अभियुक्तण के द्वारा आहत के साथ मारपीट की गयी है। अतः न्यायालय द्वारा किये गये उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 341, 323, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

16– जहां किसी व्यक्ति के विरूद्ध अथवा व्यक्ति को विधि की विधिक प्रक्रिया बताकर उसको उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हनन किया जाता है तथा किसी आपराधिक विचारण में उसे डाला जाता है तो नैसर्गिक व विधिसम्मत रूप से न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह अपेक्षा रखता है कि सभी प्रक्रियात्मक विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा तथ्यात्मक स्थिति सुदृढ, सबल सुनिश्चितता के साथ न्यायालय के समक्ष हो। अतः हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को धारा– 341, 323, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किए जाने के युक्तियुक्त सबल व सुनिश्चित आधार पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष का विवरण अखण्डनीय रूप से अनुप्रमाणित होता है।

17– परिणामतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से विचारणीय बिन्दू सकारात्मक रूप में तय किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

18– एतदद्वारा अभियुक्तगण **01. बोयत राम पुत्र श्री राजूराम, उम्र 63 वर्ष,02. अनिल कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र श्री मनफूल सिंह, उम्र 28 वर्ष,03. शंकर कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद, समस्त निवासीगण ढिगाल, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध

अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)

सजा के बिन्दू परः–

19– सजा के बिन्दू पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है तथा अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। पक्षकारान एक ही गांव के व्यक्ति है। अतः उसे परीविक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध कर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित करने क प्रार्थना की।

20– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानूपूर्वक अवलोकन किया गया।

21– उभय पक्षों के तर्कों पर बाद गौर यह पाया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का तथ्य अभिलेख पर नहीं है तथा ना ही उसे पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर परिवीक्षा का लाभ दिया गया है। इस बाबत अभियुक्तगण ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसका अभियोजन की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण वर्ष 2023 से विचारण की पीडा भुगत रहे है। अतः अभियुक्तगण को सजायाब किया गया तो और द्वेषता बढेगी। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों व अभियुक्त के चरित्र आदि समस्त तथ्यों एवं धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता व परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अभियुक्तगण को अपराधी परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

22– परिणामतः अभियुक्तगण **01. बोयत राम पुत्र श्री राजूराम, उम्र 63 वर्ष,02. अनिल कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र श्री मनफूल सिंह, उम्र 28 वर्ष,03. शंकर कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद, समस्त निवासीगण ढिगाल, पुलिस थाना मुकुंदगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अन्तर्गत धारा– 341, 323, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध कर तुरंत कारावास से दण्डित करने के बजाए प्रत्येक अभियुक्त को धारा 04(1) अपराधी परीविक्षा अधिनियम के तहत परीविक्षा का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/–रूपये की प्रतिभू एवं इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस

आशय का पेश कर न्यायालय में तस्दीक करवा दे कि इस अवधि के दौरान वे अपराध की पुनरावृत नहीं करेगा, शांति व सदाचार बनाये रखेगा, न्यायालय द्वारा आहुत किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशानुसार सजा भुगतेगा तो उसे परीविक्षा पर रिहा कर दिया जावे।

23– साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर धारा–05 परीविक्षा अधिनियम के तहत 500/– (अक्षरे पांच सौ रूपये) बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते है। अभियुक्तण पर उक्त दोषसिद्धि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निर्योग्यता नहीं समझी जावेगी।

24– अभियुक्तगण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

25– अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

26– निर्णय व आदेश आज दिनांक **12–03–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)